



राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
(SSAAT), जयपुर फोन नंबर 0141-2227725, 2227033
(E-mail: JHR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III | 4234

Jaipur, Dated:- 07/12/2021

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा,
कोटा, बारा एवं श्री गंगानगर

(आदेश सं. 66/दि. 07/12/21)

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत लोकपाल हेतु साक्षात्कार बाबत।
संदर्भ:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 4097 दिनांक 23.11.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके जिले में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला प्रमुख, प्रधानों के चुनाव आयोजित होने के कारण जिले में आदर्श आचार सहिता लागू है। मनरेगा लोकपाल के साक्षात्कार सम्पादित होने बाबत इस कार्यालय को संदर्भ प्राप्त हो रहे है। प्रकरण राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करने पर उनके द्वारा आई.डी. संख्या DR No 75 Secy/SEC दिनांक 06.12.2021 द्वारा साक्षात्कार आयोजित करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि साक्षात्कार के परिणाम दिनांक 19.12.2021 के पश्चात् प्रकाशित किये जावें।

अतः साक्षात्कार कार्यक्रम यथावत क्रियान्वित किया जाना है। सूचनार्थ प्रेषित है।

sc/-
(समावतार शर्मा)
निदेशक, (SSAAT)

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III | 4234-46

Jaipur, Dated:- 07/12/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विभाग सह-अध्यक्ष लोकपाल चयन समिति राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग सह-सदस्य सचिव, लोकपाल चयन समिति।
4. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, मनरेगा डिविजन, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
7. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ई.जी.एस. जिला परिषद कोटा, बारा एवं श्री गंगानगर को पालनार्थ प्रेषित है।
9. लेखाधिकारी (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष को समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
10. प्रोग्रामर, SSAAT को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार हेतु समुचित व्यवस्थाएं एवं वेबसाइट पर इस आदेश को प्रकाशित कराना सुनिश्चित करावे।
11. रक्षित पत्रावली।

(समावतार शर्मा)